**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1461**

**01 जनवरी, 2018 को उत्‍तर के लिए**

 **तटीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना**

**1461. डा. प्रभाकर कोरेः**

 क्‍या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या यह सच है कि यद्यपि 26/11 आतंकी हमले के बाद तटीय सुरक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी देश के तटीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए और ज्यादा उपाय करने की जरूरत है;

(ख) क्या सरकार तटीय सुरक्षा व्यापक आवधिक समीक्षा करती है;

(ग) देश की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों और उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्‍तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) से (घ): 26/11 की घटना के बाद से सरकार ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई पहलें की हैं । भारतीय नौसेना (आईएन), भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) और राज्य समुद्री पुलिस को शामिल करके इनकी जिम्मेदारी रेखांकित क्षेत्रों में तय करके एक तीन स्तरीय कवर के रूप में तटीय सुरक्षा तंत्र स्थापित किया गया है । भारतीय नौसेना गश्त/निगरानी करने के लिए सतही और वायु परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक के साथ समन्वय करती है । विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए तटीय सुरक्षा मामलों से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय करने के लिए राज्य-वार मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की स्थापना भी की गई है । सतही और वायु परिसंपत्तियों पर गश्त लगाने के अतिरिक्त तटीय/अपतटीय रडारों, राष्ट्रीय ऑटोमेटिक पहचान प्रणाली (एनएआईएस) श्रृंखला तथा लंबी दूरी की पहचान एवं ट्रैकिंग (एलआरआईटी) प्रणाली की श्रृंखला का उपयोग करते हुए समुद्री क्षेत्रों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जाती है । इसके अलावा, समुद्री निगरानी में सुधार करने और समुद्री मार्ग से होने वाली संभावित घुसपैठों को रोकने के लिए सूचना देने में अन्य स्टेकहोल्डर भी योगदान देते हैं । तटीय सुरक्षा से संबंधित उपाय केन्द्र और तटीय राज्यों द्वारा किए जाते हैं ।

\*\*\*\*